

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 30.05.2022

साइबर सेल व थाना सदर बाजार व रोजा की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता,

फर्जी तरीके से ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम पर ठगी करने के लिये विभिन्न ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिये कम्पनियों के नाम से या मिलते जुलते नामों से जीमेल आई0 डी0 बनाकर ठगी कर खातों में पैसे ट्रांसफर कराने वाले गैंग के 06 सदस्य गिरफ्तार, 31000/- रुपये नकद व 14 अदद मोबाइल विभिन्न कम्पनियों के बरामद

थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण

विगत कई दिनों से फर्जी तरीके से ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम पर ठगी करने के लिये विभिन्न ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिये कम्पनियों के नाम से या मिलते जुलते नामों से ही जीमेल आई0 डी0 बनाकर कस्टमर से आनलाइन अलग अलग खातों में रुपये ट्रांसफर कराने वालों के विरुद्ध सूचनायें प्राप्त हो रही थी इस प्रकार की घटना से सम्बन्धित थाना सदर बाजार पर पूर्व से ही मु0अ0स0 499/22 धारा 420/406 IPC वनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित थी।

आनलाइन ठगी की घटनाओं के अनावरण व गैंग के बारे में जानकारी कर उसे बस्ट करने के लिए श्री एस0 आनन्द , पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक श्री सरवनन टी. के पर्यवेक्षण में श्री नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक साइबर/सर्विलांस सेल के नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम शाहजहांपुर को भी टास्क दिया गया था। इसी क्रम में उपरोक्त संयुक्त टीम द्वारा जानकारी कर उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी।

दि0 30/05/22 साइबर/सर्विलान्स एवं थाना सदरबाजार व रोजा पुलिस टीम द्वारा किये गये साक्ष्य संकलन एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर थाना क्षेत्र रोजा में मु0अ0स0 499/22 धारा 420/406 IPC से सम्बन्धित अभियुक्तों की जानकारी की जा रही थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि जिस आनलाइन ठगी करने वाले गैंग की पुलिस तलाश कर रही है वो कहीं अन्य जनपद रहने वाले हैं तथा मोहम्दी रोड़ पर एक मकान में रहते हैं , मुखबिर द्वारा बताये गये गये स्थान को चिन्हित कर मोहम्दी रोड़ पर दुर्गा इक्लेव फैंस-2 में आलोक मिश्रा के मकान पर पुलिस टीम द्वारा दरवाजा खुलवाया गया तो 06 व्यक्तियों 1- लखन सिंह S/O रमेश उर्फ रामबीर 2- अभिषेक प्रताप सिंह S/O राजीव 3- भानू प्रताप सिंह S/O जबर सिंह 4- इन्द्रजीत S/O जयपाल 5- सौरभ कुमार S/O रामप्रकाश 6- पवन कुमार S/O शेर सिंह को समय करीब 07.30 बजे मौके से गिरफ्तार किया गया, इनका 01 साथी आशुतोष उर्फ कन्हैया s/o सुधाकर जो गैंग लीडर है वह मौका पार भागने में सफल हो गया अभियुक्तगण के मोबाइलों को चैक किया जिसमें अलग-2 मोबाइल नम्बरो पर व्हाटसैप से चैटिंग है जिसमें पेमेंट लेने की बात की है तथा मो0न0 630651xxxx मोबाइल में सेव है तथा चैटिंग है चैटिंग डिलीट की गई है, इसी मो0न0 को थाना सदर बाजार के मु0अ0स0 499/22 धारा 420/406 IPC में वादी के मोबाइल पर फोन करके पेट्टीएम से 36 हजार रुपये की ठगी की गयी है उक्त मोबाइल चैक करके विश्वास हो गया कि ये लोग ठगी करते हैं। जिनके कब्जे से 14 अदद मोबाइल विभिन्न कम्पनी ठगी के 31000/- रुपये नकद (इक्कीश हजार रुपये) गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रोजा पर वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

- 1- लखन सिंह S/O रमेश उर्फ रामबीर R/O ग्रा0 गुडैरा PS अमृतपुर फर्रुखाबाद।
- 2- अभिषेक प्रताप सिंह S/O राजीव कुमार R/O ग्रा0 अमृता PS पाली जिला हरदोई।
- 3- भानू प्रताप सिंह S/O जबर सिंह R/O ग्राम चपरा थाना अमृतपुर फर्रुखाबाद।
- 4- इन्द्रजीत S/O जयपाल PS ग्रा0 गुडैरा PS अमृतपुर फर्रुखाबाद।
- 5- सौरभ कुमार S/O रामप्रकाश R/O गुडैरा P/S अमृतपुर फर्रुखाबाद।
- 6- पवन कुमार S/O शेर सिंह R/O गुडैरा P/S अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद।

फरार अभियुक्त का विवरण

आशुतोष उर्फ कन्हैया s/o सुधाकर R/O ग्रा0 रुलापुर PS अमृतपुर जनपद फर्रुखाबाद।

बरामदगी का विवरण

1- 14 अदद मोबाइल विभिन्न कम्पनी

2- 31000/- रुपये नकद (इक्कीश हजार रुपये नगद)

पूछताछ व अपराध कारित करने का तरीका:-

इस गैंग के सरगना आशुतोष उर्फ कन्हैया जो मौका पाकर फरार हो गया जो मूलतः जनपद फर्रुखाबाद का रहने वाले हैं, इसके 05 अन्य साथी भी जनपद फर्रुखाबाद के गुडेरा व चपरा थाना क्षेत्र अमृतपुर के निवासी तथा 01 अभियुक्त जनपद हरदोई का रहने वाला है जो ठगी अथवा घटना कारित करने के लिये एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होते हैं तथा जिस स्थान से गिरफ्तारी किया गया है उसी स्थान पर आ जाते हैं।

हम लोग फर्जी तरीके से ट्रांसपोर्ट कम्पनी के नाम पर ठगी करने के लिये विभिन्न ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिये कम्पनियों के नाम से या मिलते जुलते नामों से ही जीमेल आईडी बनाकर JUST Dial app पर पेड प्रोफाइल बनाते हैं जब किसी ग्राहक द्वारा आनलाइन JUST Dial के माध्यम से टूक या बस बुक करने की इंकवायरी की जाती है तो पेड एडवर्टाईजमेन्ट होने के कारण हमारी ई-मेल आईडी पर ग्राहक की जानकारी आती है इसके बाद हम लोग दोबारा फर्जी ID पर प्राप्त प्री एक्टिवेट सिम मोनो के माध्यम से उस ग्राहक को काल करके उसमें अलग-2 खातों में रुपये डलवाते हैं हम सभी लोग यहाँ पर काल सेन्टर चलाते हैं सभी का अलग-2 काम बंधा है। इस प्रकार अन्य जनपदों में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपदों से सम्पर्क स्थापित कर जानकारी की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 381/22 धारा 420 भादवि थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

अनावरित अभियोगों का विवरण:-

1- मु0अ0सं0 499/22 धारा 420/406 IPC थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर।

पुलिस टीम -

साइबर सेल पुलिस टीम

श्री नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक साइबर/सर्विलांस सैल शाह0

उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार शाह0

उ0नि0 पुष्पेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी हथौडा थाना रोजा शाह0

का0 1449 राजुल कुमार साइबर सैल शाह0

का0 1982 शिवम साइबर सैल शाह0

का0 अजय चौधरी सर्विलांस सैल शाह0

का0 संजीव कुमार सर्विलांस सैल शाह0

शाह0 का0 नरेश थाना सदर बाजार शाह0

का0 1274 अजय कुमार , थाना रोजा शाह0

का0 2168 अरुण कुमार थाना रोजा शाह0